

Recd By E-Mail

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष / बोर्ड / कारपोरेशन ।  
हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त व उपायुक्त ।

हरियाणा राज्य के सभी कार्यालयों में कार्यरत एस0 ए0 एस0 काडर  
के लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी / मुख्य लेखाधिकारी ।

यादी क्रमांक टीए-हर-1टी-2017 / 6211-20


दिनांक: 7/9/17

विषय:- शोधन पत्र जारी करवाने बारे ।

उपरोक्त विषयके सन्दर्भ में ।

विषयाधीन मामले में आपको सूचित किया जाता है कि राजपत्रित अधिकारियों के पक्ष में शोधन पत्र जारी करवाने के लिए चौकसी विभाग द्वारा एक प्रोफार्मा जारी किया गया है । प्रोफार्मा की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि आपके कार्यालय में कार्यरत लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी / मुख्य लेखाधिकारी की सेवानिवृत्ति के लगभग एक वर्ष पूर्व निर्धारित प्रोफार्मा भरकर इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ताकि सेवानिवृत्ति से पूर्व सरकार / चौकसी विभाग से शोधन पत्र जारी करवाया जा सके ।

सलंगन: निर्धारित प्रोफार्मा

  
संयुक्त निदेशक,  
कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

